पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(गव्य विकास निदेशालय)

बिहार, पटना

अधिसूचना

संचिका संख्या– गव्य/ (अनु०–01) 01/2025 – दिनांक........./........./2025

गव्य विकास निदेशालय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में स्वीकृत समग्र गव्य विकास योजना एवं देशी गोपालन प्रोत्साहन योजना में कम उपलब्धि रहने के कारण विभागीय पत्र संख्या 228 दिनांक 19.02.2025, पत्रांक क्रमशः 958 एवं 959 दिनांक 09.07.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में स्वीकृत समग्र गव्य विकास योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि आशातित नहीं होने एवं पत्रांक क्रमशः 960 एवं 961 दिनांक 09.07.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में स्वीकृत देशी गोपालन प्रोत्साहन योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि आशातित नहीं होने पर जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बांका सहित अन्य संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परन्तु जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बांका प्रभारी भागलपुर द्वारा एक भी स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया और न ही बांका तथा भागलपुर जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति परिलक्षित हुई।

गव्य विकास निदेशालय के पत्रांक 1155 दिनांक 12.08.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत समग्र गव्य विकास योजना एवं देशी गोपालन प्रोत्साहन योजना में वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि शून्य रहने के कारण पुनः अंतिम मौका देते हुए श्री राजेश कुमार, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बांका प्रभारी भागलपुर से एक दिन के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाये तथा यह भी सूचित किया गया था कि ससमय स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर निदेशालय श्री कुमार के विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा।

श्री राजेश कुमार, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बांका प्रभारी भागलपुर द्वारा गव्य विकास निदेशालय के पत्रांक 1155 दिनां 12.08.2025 के आलोक में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें अधीनस्थ कर्मी द्वारा कार्य नहीं किये जाने के कारण लक्ष्य प्राप्ति पर प्रतिकूल असर पड़ने की बात अंकित की गयी है।

श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण उनके प्रशासनिक अक्षमता का द्योतक माना गया तथा स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतः उपर्युक्त के आलोक में सम्यक समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रथम दृष्टया प्रमाणित हो रहे सरकारी कार्य में रूचि नहीं लिया जाना, लापरवाही, उदासीनता, अनुशासनहीनता एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) में निहित प्रावधान के तहत श्री राजेश कुमार, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बांका प्रभारी भागलपुर को निलंबित करते उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त के आलोक में श्री राजेश कुमार, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बांका प्रभारी भागलपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) में निहित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय क्षेत्रीय गव्य विकास कार्यालय, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया जाता है।

3. श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

4. निलंबन अवधि में श्री कुमार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/—

(धर्मवीर प्रसाद)

अवर सचिव

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक.................................... पटना, दिनांक........../.........../2025

प्रतिलिपि :— महालेखाकार, बिहार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— श्री राजेश कुमार, निलंबित जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बांका प्रभारी भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— जिला पदाधिकारी, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— अवर सचिव, राजपत्रित स्थापना एवं निगरानी स्थापना, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—

अवर सचिव

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक.................................... पटना, दिनांक........../.........../2025

प्रतिलिपि :— क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (गव्य), भागलपुर/मुजफ्फरपुर/ गव्य शोध पदाधिकारी, बिहार, पटना/सभी जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—

निदेशक, गव्य।

ज्ञापांक 1245

पटना, दिनांक 27/08/2025

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27.08.25

निदेशक, गव्य।